तारीख हुक्म	212 RT Act हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सैलानी / पाबूलाल 58/2020/24
30-6-25	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का 1/2 व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का 1/4 हिस्सा दर्ज है प्रार्थी व अप्रार्थी उक्त भूमियों पर आपसी सहमति अनुसार काबिज काश्त है। भूमियों का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी भूमि पर ताकत के बल पर प्रार्थी के हिस्से में दखलअंदाजी करते है व खेत की मेड को तोडकर अपने कब्जे में मिलाने पर आमादा है एवं संयुक्त रूप से बने हुये धोरे से पानी लेने व कुंए से सिंचाई करने में व्यवधान उत्पन्न करते है। हमने अप्रार्थीगण से कई बार भूमि का बंटवारा करवाने हेतु कहा लेकिन वो इंकार हो गये और धमकी दी की हम बंटवारा नहीं करेंगे और तुम्हारे हिस्से की भूमि पर कब्जा करेंगे। अप्रार्थीगण द्वारा मूल वाद के निर्णय से पूर्व ही हमारे हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त व धोरे व कुंए से पानी लेने में बाधा उत्पन्न कर रहें है जिससे हमें अपूर्णिय क्षति की संभावना बनी हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वाद के अंतिम निर्णय तक हमारे कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करने व धोरे व कुंए से हिस्से अनुसार पानी लेने में बाधा उत्पन्न नहीं करने से पाबंद किया जाये। वकील प्रार्थी के तथ्यों के खंडन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार अलादीन व पीरू जी ने मौके पर आपसी सहमति से हिस्से कर निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे थे। तथा चाह खसरा सं0 1719 की भूमि सहखातेदार के उपयोग के लिये खुली छोड रखी थी इसी प्रकार भूमि के खातेदार उक्त चाह व चाहा की भूमि व जमांबदी में दर्ज अपने-अपने हिस्से की भूमि का निरंतर उपयोग करते रहे है। सहखातेदार पीरू के वारिस निजामुद्दीन व रईस द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित 1/4 हिस्से की भूमि बलवीर सिंह को बेचान की थी और बलवीर सिंह को उसी स्थान पर कब्जा दिया जहां विक्रेता काबिज थे। केता ने भी अपनी कयशुदा भूमि पर उसी स्थान पर काश्त की जहां पूर्व खातेदार काबिज थे। इस प्रकार मौके पर कब्जे बाबत कोई विवाद नहीं हुआ है। प्रार्थी सैलानी बलवीर सिंह द्वारा दिये गये कब्जे के स्थान पर ही वर्तमान में काबिज काश्त है लेकिन प्रार्थी के मन में बदनियती आ जाने से अपने कब्जे से भिन्न स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

P.T.O. →

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। ~~प्रार्थी आये दिन हमारे कब्जे काश्त में दखलअंदाजी का~~ प्रयास करता है हमने विद्युत कनेक्शन व बोरिंग करवा रखा है प्रार्थी को हमारे कब्जे की भूमि पर हो रहे बोरिंग से सिंचाई करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत तौर से चाह खसरा सं0 1719 पर किये गये कब्जे को हटाये जाकर एवं हमारे जवाब के अन्य आक्षेप में दर्ज तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे। अपने समर्थन में विनिर्णय 2025 (1) डी.एन.जे (राजस्व) पृष्ठ संख्या 432, 2025 (1) डी.एन.जे (राजस्व) पृष्ठ संख्या 134 एवं 2024 (1) डी.एन. जे (राजस्व) पृष्ठ संख्या 494 पेश किये है।

हमने वकील पक्षकारान द्वारा द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 400 में अंकित खसरा नम्बरान 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721 कुल किता 7 कुल रकबा 3.0271 हैक्टेयर वाके ग्राम दबलाना में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय प्रकरण पर चस्पा हो रहे है।

प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– विवादित भूमि खाता संख्या 400 में अंकित खसरा नम्बरान 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721 कुल किता 7 कुल रकबा 3.0271 हैक्टेयर वाके ग्राम दबलाना में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। सामलाती खातेदारी भूमि के प्रत्येक खसरो के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का बराबर हक व अधिकार निहित होते है ऐसी स्थिति में किसी सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करना/दिया जाना न्यायसंगत नहीं है, विवादित भूमियां सहखातेदारी में स्थित होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।
2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 400 में अंकित खसरा नम्बरान 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721 कुल किता 7 कुल रकबा 3.0271 हैक्टेयर वाके ग्राम दबलाना में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। सामलाती खातेदारी भूमि के प्रत्येक खसरो के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का बराबर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

P.T.O.→

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हक व अधिकार निहित होते है विवादित भूमियां सहखातेदारी में स्थित होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नहीं बन रहा है।

3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 400 में अंकित खसरा नम्बरान 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721 कुल किता 7 कुल रकबा 3.0271 हैक्टेयर वाके ग्राम दबलाना में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। सामलाती खातेदारी भूमि के प्रत्येक खसरो के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का बराबर हक व अधिकार निहित होते है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बन रही है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नहीं बनने एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बनने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली